नेशनल सेंटर फॉर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट

43, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,फेज– 3,नई दिल्ली–110020
टेलीफोनः 011 26821262 फैक्सः 26821260
ईमेलः ncdpd@ncdpd.in Website: www.ncdpd.in

भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की लखनऊ मेगा कलस्टर स्कीम,लखनऊ,यूपी में प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए साझा संयंत्र केंद्रों की स्थापना के लिए रुचि प्रकटन (एक्सप्रेशन ऑफ इंटेरेस्ट) आमंत्रित करने के लिए नोटिस।

एनसीडीपीडी चिन्हित शिल्पकलाओं की उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर करने और उनमें अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से कॉमन फेसिलिटी सेंटर (साझा संयंत्र केंद्र) की स्थापना में रुचि रखने वाली योग्य एजेंसियों से प्रस्ताव (ऑफर) आमंत्रित करती है। इस पहल के अन्य लक्ष्यों में मूल्यवर्धन के लिए तेज और गुणवत्तायुक्त उत्पादन और शिल्पकारों की आय के स्तर को बढ़ाना है।

रूचि रखने वाली उपयुक्त अनुभवी एजेंसियां, अपनी ईओआई दाखिल कर सकती हैं। इसके लिए विस्तृत टीओआर, वेबसाइट www.ncdpd.in या www.handicrafts.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं या एनसीडीपीडी के कार्यालय या डीसी (हस्तशिल्प) के क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय भवन, 7वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024से प्राप्त किए जा सकते हैं। ईओआई दाखिल करने की अंतिम तिथि, इस विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिवस तक होगी।

1 पृष्ठभूमि

माननीय वित्त मंत्री ने 2014–15 के अपने बजटीय भाशण में लखनऊ को नये मेगा क्लस्टर के रूप में घोशित किया। इसका लक्ष्य उत्तर प्रदे ा के लखनऊ में ि ाल्पकलाओं के क्लस्टर का समावे ाी विकास करना है। क्लस्टरों के डिजाइन का पथप्रद र्ाक सिद्धांतआधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना और उत्पादन श्रृंखला को इस तरहएकीकृत करना है, जो क्लस्टरों में काम करने वाले हस्ति ाल्पकारों की जरूरतों को पूरा करे।

संक्षेप में, इस क्लस्टर की स्थापना का मुख्य लक्ष्य आधुनिक बुनियादी सुविधाओं, नवीनतम तकनीक, डिजाइन में अत्याधुनिक परिवर्तनों, पर्याप्त प्रि ाक्षण और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) के इनपुट (सहयोग) के अलावा उचित बाजार संबंधों के साथ स्थापित होने वाले संयंत्रों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने में सभी साझेदारोंकी मदद करना है।

प्रस्तावित पहल के लिए एनसीडीपीडी और ओ/ओ.डीसी (हस्ति ाल्प)ने एक भाीघ्र प्रामाणिकता अध्ययन (क्विक जस्टीफिके ान स्टडी) और डीपीआरसंचालित किया है। लखनऊ मेगा क्लस्टर में प्रस्तावित पहल के लिए डायग्नोस्टिक–सह–जस्टीफिके ान स्टडी की रिपोर्ट की अनु ांसाओं के आधार पर तकनीकी–सह–मार्केटिंग टीम ने प्रस्तावित पहल और उनकी संभावनाओं की तकनीकी समझ हासिल करने के लिए लखनऊ के विभिन्न क्लस्टरों में ब्लॉक स्तर पर स्थित विभिन्न इकाइयों, ि ाल्पकारों, एसएचजी और निर्माण इकाइयों को देखा और उनका अध्ययन किया। आरंभिक चरणों में भाामिलऔर तात्कालिक जरूरतों पर आधारित क्लस्टरों/ि ाल्पकलाओं का विवरण नीचे है:

चिकनकारी

नैदानिक अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि कारीगर मुख्य रूप से जॉब कार्य में लगे हैं। वे बड़ी सीमा तक व्यापारियों/मध्यस्थों पर निर्भर हैं। मध्यस्थ, कारीगरों को कच्चे माल और डिजाइन उपलब्ध कराते हैं तथा तैयार उत्पाद वापस लेते हैं। कारीगरों को मात्रा के आधार पर या दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है। यह देखा गया कि कारीगर औसतन प्रतिदिन केवल रू 100/– से रू 200/– ही कमा पाते हैं।

कार्य की प्रक्रिया

शुरूआत में, बुने जाने वाले डिजाइन के पैटर्न का खाका, ठप्पों की मदद से कपड़े पर लिया जाता है। कपड़े के प्रयोग किए जाने वाले भाग को एक गोल फ्रेम में कसा जाता है और तब सुई और धागे की सहायता से डिजाइन को कपड़े पर सिला जाता है।

प्रक्रिया का फ्लो चार्ट	
लेडीज और जेन्ट्स सूट्स के लिए	साड़ियों और सूट लेंग्थ के लिए
कपड़ा	कपड़ा
कटाई	कटाई
सिलाई	छपाई
छपाई	कढ़ाई
कढ़ाई	जाली कार्य
जाली कार्य	पीको (केवल साड़ियों में)
अंतिम सिलाई	धुलाई
धुलाई	प्रेस करना
प्रेस करना	बिक्री हेतु तैयार अंतिम उत्पाद
बिक्री हेतु तैयार अंतिम उत्पाद	

चिकनकारी कारीगरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल उपकरण

- कई आकारों वाले फ्रेम
- सुई
- धागे
- ठप्पे और स्याहियां

कपड़े पर एक लम्बी सुई, धागों, टिकरी और मनकों से काम किया जाता है। स्टेंसिल से बनाए गए डिजाइन वाले वस्त्र को रोकने के लिए कई आकारों वाले फ्रेम उपयोग किए जाते हैं, जो प्रायः 1.5 फीट तक बड़े होते हैं। एक हाथ से वस्त्र के नीचे धागा पकड़ा जाता है, जबकि दूसरा हाथ वस्त्र के ऊपर सुई को संचालित करता है।

प्रमुख अवरोध/रूकावटें

नैदानिक अध्ययन में निम्न समस्याओं/रूकावटों को चिन्हित किया गया जो इस संकुल (क्लस्टर) की समग्र प्रतिस्पर्धी क्षमता को दुर्बल बनाती हैं:

- यह देखा गया कि अधिकांश कारीगर, जॉब कार्य में लगे थे। यह भी देखा गया कि कारीगर प्रति दिन केवल रू. 50/– से रू. 80/– ही कमा पाते हैं और सुदूर क्षेत्रों में मजदूरियां और भी कम हैं क्योंकि यह पूर्णकालिक कार्य के बजाय अंशकालिक घरेलू कार्य है।

- बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, कार्य करने के लिए स्थान, कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के लिए भंडारण क्षमता आदि के अभाव के कारण कार्यस्थल, समुचित उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जो संकुलों में बड़ी रूकावटें हैं।

- धुलाई तथा इस्त्री करने की उन्नत तकनीकों तथा धुलाई और रंगाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की सुविधाएं नहीं हैं। समुचित निस्सारक उपचार (शोधन) संयंत्र की आवश्यकता है।

- परिधानों की सिलाई, मूल्य श्रृंखला में एक महत्त्वपूर्ण चरण है। हालांकि निर्यात गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्मित किए जा सकने के लिए गुणवत्तापूर्ण मशीनों/सामान्य सुविधा केंद्रों का अभाव है।

- सामान्य सुविधाएं, जैसे कि रंगाई, संकुल के कुछ निश्चित भागों में अनुपस्थित हैं।

- ठप्पा (ब्लॉक), चिकनकारी में एक महत्त्वपूर्ण घटक है। हालांकि ठप्पे बनाने वाले कारीगर प्रायः पुराने उपकरणों का उपयोग करते हैं और वे देश में अन्यत्र उपलब्ध आधुनिक उपकरणों से परिचित नहीं हैं।

- कार्य की अनुचित दशाओं के कारण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी प्रचलित हैं और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूकता नहीं है, विशेषकर आंखों के बारे में, जिनकी क्षमता दिन–प्रतिदिन कम होती जाती है।

- कारीगर, उत्पादन की पुरानी और पारंपरिक विधियों का उपयोग करते हैं जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता कम रहती है।

- डिजाइन तथा उत्पाद विकास में नवप्रवर्तन का अभाव है, क्योंकि उनको सपोर्ट देने के लिए कोई डिजाइन सेंटर या डिजाइनर नहीं हैं।

- महिलाओं समेत युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण, सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि मजदूरियों के अंतर के कारण अधिकांश युवा व्यक्ति इसे एक पेशे के तौर पर अपनाना नहीं चाहते।

- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग, एक बड़ी रूकावट है क्योंकि चिकनकारी को ब्रांड के रूप में नहीं बेचा जाता है।

1.4 प्रस्तावित हस्तक्षेप

चिन्हित रूकावटों के समाधान के लिए विभिन्न खंड स्तरों पर छोटे और कैप्टिव **सामान्य सुविधा केंद्र** स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, जहां उत्पादन संकुल स्थित हैं, और इनका उपयोग कारीगरों, प्रमुख शिल्पकारों, एसएचजी, एनजीओ या अन्य लाभार्थियों द्वारा किया जा सकता है। ये सीएफसी, एसपीवी की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ तथा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। प्रस्तावित सीएफसी पर निम्न सुविधाएं होंगीः

i) कार्यस्थल में सुधार

उद्देश्यः इस हस्तक्षेप द्वारा निम्न दोहरे उद्देश्य पूरे किए जाना प्रत्याशित हैः

- कार्यस्थल में सुधार
- उच्चतर मूल्य संवर्धन के लिए उपाय उपलब्ध कराना

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, मौजूदा कार्यस्थल ऐसे कलात्मक कार्य के लिए अनुकूल नहीं है, तथा पर्याप्त बिजली, प्रकाश व्यवस्था, जगह इत्यादि की उपलब्धता आदि बुनियादी संरचना का अभाव है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम रहती है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
साथ ही, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कारीगर जॉब कार्य में लगे हैं और उनके कार्य को अर्ध–प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में संकुल से बाहर ले जाया जाता है जबकि अंतिम उत्पाद को संकुल से बाहर सिला जाता है। अतः संकुल को कुल मूल्य का एक आंशिक भाग ही प्राप्त होता है। संकुल को मिलने वाले मूल्य को बेहतर बनाने के लिए संकुल में सामान्य सुविधा के रूप में सिलाई कार्य शुरू कराना प्रस्तावित है।
इसके अंतर्गत यह प्रस्तावित है कि बेहतर कार्य दशाओं के लिए कार्यस्थल पर प्रकाश व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि मौजूदा तरीकों के कारण विविध बीमारियां, जैसे कि चिकनकारी श्रमिकों की पूर्ण अंधता इत्यादि उत्पन्न होती हैं।

ii) गुणवत्ता सुधारने के लिए सिलाई, कटाई, इंटरलॉकिंग हेतु मशीनें

सिलाई मशीनः इसका उपयोग वस्त्रों के टुकड़ों को सिलने के लिए किया जाता है। यह हाथ से उपयोग की जाने वाली सुईयों के बजाय सिलाई का स्वचालित उपाय है जो तैयार उत्पाद निर्मित करता है।
इंटरलॉक मशीनः सिलाई मशीन का एक विशेष सेट, जो उत्पादों की फिनिशिंग में शुद्धता का समावेश करता है।
कपड़ा काटने की मशीनें: वस्त्र या कपड़े काटने की मशीनें, एक बार में कपड़ों के टुकड़ों का पूरा सेट काटने में सक्षम बना सकती हैं। इससे कटाई में लगने वाला समय कम हो जाता है और इस प्रकार उत्पादन की गति बढ़ जाती है।
उक्त उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों के विवरण, संदर्भ हेतु परिशिष्ट I में भी संलग्न हैं।

1.5 हस्तक्षेप हेतु चिन्हित प्रमुख खंड (ब्लॉक)

1.5.1 ब्राह्मणनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ

1.5.2 गोविन्द नगर, मानक नगर, लखनऊ

1.5.3 धोबी घाट, बिल्लोजपुरा, नंदन महल रोड, लखनऊ

1.6सीएफसी स्थापित करने की व्यवस्था या तंत्र

- सीएफसी की स्थापना एसपीवी के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ की जाएगी, जहां जरूरी उपकरणों, साजो–सामान और मशीनों की उपलब्धता एसपीवी द्वारा की जाएगी और उन्हें प्राधिकृत सीएफसी में खड़ा किया और लगाया जाएगा।

- कार्य की शुरुआत और भवन निर्माण या खड़ा करना, जहां कहीं निर्माण कार्य का जुड़ाव है, इसका संचालन एसपीवी द्वारा किया जाएगा।
- संयंत्र, मशीनरी, उपकरणों और साजो–सामान समेत एसपीवी द्वारा जो भी इनवेंटरी यानी बचे सामान की सूची तैयार की जाएगी, वह पूरी तरह से एसपीवी की सम्पत्ति होगी।

- एसपीवी प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परीक्षण या ट्रायल उत्पादन के काम में मदद करेगा, हालांकि वाणिज्यिक उत्पादन और इसके संचालन तथा प्रबंधन के साथ ही रखरखाव आदि कार्यों को उस एजेंसी/संगठन द्वारा संपादित किया जाएगा जिसे सीएफसी अवार्ड किया जाएगा।
- मुख्य तौर पर सीएफसी की सेवाओं का उपयोग एसएचजी/लाभान्वित समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, हालांकि ये सेवाएं अन्य लोगों को भी नाममात्र के शुल्क पर दी जा सकती हैं, जिसका निर्धारण एसपीवी के साथ विचार–विमर्श करके किया जाएगा। सीएफसी सेवा शुल्कों को लाभान्वित समूह के बीच भी अधिसूचित किया जाएगा।
- एसपीवी और सीएफसी के बीच एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा।

- प्रस्ताव व्यावहारिक न होने, या सुदृढ़ प्रस्तावों का अभाव होने की स्थिति में एसपीवीअग्रगामी (पाइलट) परियोजनाओं के रूप में, लाभार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए किराए के परिसरों में सीएफसी की स्थापना आरंभ करेगा।

2 योग्यता मानदंड

सीएफसी की स्थापना के लिए निम्नलिखित एजेंसियां योग्य होंगीः–

- राज्य निगम/सरकारी विभाग/केंद्रीय/राज्य एजेंसी या कोई वैधानिक संगठन, जैसे सोसायटी, एसएचजी, पिछली चार तिमाहियों के दौरान कम से कम 5 लाख रुपये की नकदी बैलेंस वाले एनजीओस्थापना और क्रियाकलाप के न्यूनतम तीन साल होने चाहिए
- उस संगठन में कम से कम 15 शिल्पकार होने चाहिए, जो सहयोगी या इक्विटी होल्डर होना चाहते हैं और उन्हें कामगार नहीं होना चाहिए।
- कामकाजी स्थिति में होना चाहिए
- इसके अपने या लीज वाले (कम से कम 3 साल का) कार्य परिसर होने चाहिए
- संयंत्रों के लगातार संचालन और प्रबंधन की लागत वहन करने के लिए तैयार होना चाहिए
- संयंत्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए एसपीवी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना चाहिए
- सीए द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वर्ष की बैलेंस शीट जमा करनी चाहिए

ऑफर में उपरोक्त योग्यताओं के दस्तावेजी प्रमाण पेश किए जाने चाहिए

3 मूल्यांकन मानक/चयन का तरीका

- ईओआई दस्तावेजों में वर्णित जरूरतों के संदर्भ में प्रस्ताव का एक समिति मूल्यांकन करेगी, जिसके आधार पर शोर्टलिस्टिंग की जाएगी।
- पीएमएसी के पास ईओआई दस्तावेज या किसी और में वर्णित दस्तावेजी जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव नहीं होने पर उसे खारिज करने का अधिकार है।

- आवेदक, टर्नओवर और इस तरह के पिछले कार्यों आदि समेत अन्य प्रमाणों के प्रोफाइल और ट्रेक रिकॉर्ड का उपयोग हर एक आवेदक की क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए आधार के रूप में किया जाएगा, ताकि इस काम का संचालन सुरक्षित, सफलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से किया जा सके।

तकनीकी पेपर का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा, जो इन न्यूनतम योग्यता पर निर्भर करता हैः

क्रम संख्या	मानदंड		अधिकतम अंक/शारांष
1.	**एजेंसी का पूर्व अनुभव**		60
A	3 वर्श के अनुभव पर	**अधिकतम 5 अंक**	
	3 साल और अधिक	**अधिकतम 25**	
B	संयंत्र, म ाीनरी या उपकरण/उत्पादन के लिए कार्य ााला चलाने का पूर्व अनुभव	**अधिकतम 30 अंक**	
2.	प्रमुख कर्मियों का अनुभव		25
A	जरूरी योग्यता– अधिकतम 10 अंक		
B	प्रासंगिक अनुभव– अधिकतम 15 अंक		
3	कंपनी की वित्तीय भाक्ति		15
A	पिछले तीन साल का टर्नओवर– अधिकतम 5		
B	पिछले तीन साल का भाुद्ध लाभ– अधिकतम तीन		
कुल			**100**

4. ईओआई जमा करने के दिशानिर्देश

i)**कवर–A**: मुहर लगी हुई और अच्छी तरह से बंद लिफाफे पर आवेदक से संबंधित सभी जानकारियां, जैसे, पूरा नाम, पोस्टल पता, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि होनी चाहिए।

ii)**कवर–B**: तकनीकी कागजातों के साथ मुहर लगी हुई और अच्छी तरह से बंद लिफाफा होना चाहिए। तकनीकी कागजातों में चयन के मानकों और मूल्यांकन प्रक्रिया में वर्णित सभी दस्तावेज होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं:

–ईओआई जमा करने के प्रारूप और साथ में ईओआई दस्तावेज

–एजेंसी का प्रोफाइल और साथ में कर्मचारियों/प्रमुख कर्मियों का विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस तरह के काम करने का 3 वर्ष का अनुभव

–पिछले तीन वर्ष की ऑडिट की हुई बैलेंस शीट की कॉपियां इसके साथ लगाई जानी चाहिए, जिनपर चार्टर्ड एकाउंटेंट का हस्ताक्षर और साथ में पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न की सत्यापित कॉपियां होनी चाहिए।

–पैन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, आईटीआर, ईपीएफ स्टेटमेंट, ईएसआई का विवरण, वैट (अगर जरूरी हो)

जमीन के कागजात/या जमीन/लीज एग्रीमेंट के स्वामित्व संबंधी सर्टिफिकेट

iii)**कवर C:**इसमें कवर एक और कवर बी होने चाहिए, जिसपर मेगा क्लस्टर के लिए शिल्पकार से जुड़े आंकड़ों और बेसलाइन सर्वे तथा डायग्नोस्टिक अध्ययन के संग्रह के लिए तकनीकी कोट या उद्धरण लिखा होना चाहिए, जिसपर आवेदक का पूरा नाम, डाक का पता, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन नंबर होने चाहिए।

5.ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख

ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख 28–01–2015 है। वर्णित तारीख के बाद प्राप्त ईओआई स्वीकार नहीं की जाएगी। ईओआई को कार्यकारी निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, 43, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–3 (मोदी मिल के पीछे), नई दिल्ली–110020 पते पर भेजा जाना चाहिए।

****